13.40 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) HANDCUFFING OF SHRI ISHWAR CHAUDHARY, M.P. BY BIHAR POLICE

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 377 के अधीन एक विषय को उठाना चाहता हूं। बिहार विधान सभा के सामने मैं और हमारे कुछ सत्याग्रही बन्धु प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार हुए थे। हमको 10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जेल जो कि वहां से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है तक पहुंचाने में साढ़े सात घंटे लगाए गए। इसका अर्थ यह है कि हम को साढ़े सात घंटे तक रोके रखा गया। हम लोगों ने जेल के अन्दर कुछ खामिया देखी। वहां चोर बाजारी और भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल में लाये जाते देखे। कैदियों के खान-पान की जो वस्तुएं थी उन की नाजायज ढग से चोरी हुआ करती थी। हम मे यह देखा नही गया और हम लोगो ने साकेतिक बारह घंटे का जत्थेवार अनशन करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। किन्तु इसका फल दूसरा ही निकला सरकारी अधिकारियों ने, जेलर, सहायक जेलर जमादारो ने यह सोचा कि सत्याग्रहियों को कैदियो से पिटवाया जाए। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने यह जानकारी जेलर को दी और इसकी प्रतिलिपि सुपरिन्टैन्डैन्टऔर आई जी. को भी भेजी और कहा हम को जान से मार देने की धमकियां दी जाती हैं, इस पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। जो दस्तखत की हुई कापी है, वह मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो हैंड कफिंग के बारे में लिखा है।

श्री ईश्वर चौधरी : उसी पर मैं आ रहा हूं।

जैसे ही यह सूचना मैंने उनको दी उसके दूसरे दिन एक भयंकर घटना घटी। जेलर और सहायक जेलर ने गाली गलौच की भाषा में बात कर मुझे कहा कि यह एप्लीकेशन आपने दी है और उन्होंने मेरे पेट और पीठ में मुक्के चलाए। अपनी जान बचाने के ख्याल से मैं वार्ड नम्बर 4 में चला गया और वहां मैंने शरण ली। इसी बीच में पहली घंटी बजी। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली ही घटना होगी कि पहली घंटी बजने के बाद कैदी और पुलिस एक साथ आक्रमण कर पूरन चंद, भूतपूर्व विधायक और अश्विनी कुमार चोबे, छात्र नेता उनको धक्का देकर अन्दर ले गए चटकनी लगा दी और उनको इतनी बुरी तरह से कैदी और अधिकारियों ने मारा, पीटा कि वे बेहोश हो गये। इतना ही नही बेहोशी की अवस्था में उनके, अश्विनी कुमार चोबे के शरीर को जलाया गया।

दो महीने तक जेल मे रहने के बाद पहली बार 5 अगस्त को हथकडी लगाकर मुझे और अन्य सत्याग्रहियो को बिहार के मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। कैदियो को रस्सी मे बाध दिया गया था। चूकि रस्सी खत्म हो गई थी इस वास्ते मुझे शायद उसमें नही बाधा गया। शाम को जिस हालत मे गए थे उसी हालत मे हथकडी लगाकर हमको कोर्ट से वापिस ले आया गया। जब जेल से निकल रहे थे तो मेरी और जेलर की निगाह आपस मे मिली। इस पर जेलर कहने लगे कि यह डिवीजन मे रहता है इसको हथकडी नही लगनी चाहिए। लेकिन हथकडी लगी रही और वह किंकर्तव्य विमूढ देखते रहे। मैं समझता हू कि दुर्भावनावश तथा अपमानित करने की भावना से ये सारे काम किए गए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जनता के प्रतिनिधि को हथकडी अगर लगाई जाती है तो इसका उद्देश्य उसको जनता के सामने अपमानित करने का ही होता है। मैं भागने वाला आदमी नही था और न इस उद्देश्य से जेल गया था। मैं स्वेच्छा से जेल गया था। कौल और शकधर ने अपनी किताब में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हथकडी उन्ही को लगनी चाहिए जिन कैदियों के भाग जाने की संभावना हो। लेकिन चूंकि हम स्वेच्छा से गए थे इस वास्ते हमारे भागने की संभावना नहीं थी। यह मेरी

[श्री मधु लिमये]

ही मानहानि नहीं हुई है, बल्कि मैं समझता हूं कि जनता के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी मानहानि हुई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे संरक्षण प्रदान करें और इस चीज को उचित स्थान पर भेजने की कृपा करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय आप गृह मंत्री से कहें कि वह तथ्यों का पता लगाएं । बात यह है कि 1957 में और फिर 1959 में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सूचना दी थी कि आम तौर पर हवालातियों को हथकड़ी नही लगनी चाहिये । केवल उन्हीं लोगों को लगाई जाए जिन के भाग जाने का डर हो या जो हिंसा पर उतारू हों । मै जानाना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रालय ने इस निर्देश को बदल लिया है ? क्या सत्याग्रहियों को हथकड़ी लगाई जाए, यह आदेश दिया गया है ? पार्लियामेंट के मेम्बर और एक आम आदमी में मै फर्क करना नही चाहता हम अपने विशेषाधिकारों के लिए नही लड़ रहे है इस समय । लेकिन सत्याग्रह के लिए स्वेच्छा से जेल में जाते हैं, जिन के भागने का सवाल नही है क्या उनके बारे में बिहार की सरकार को नए आदेश दिये गए हैं ? गवर्नमेंट तथ्य वहा से मंगाए और उन तथ्यों से आप सतुष्ट न हो तो आप फिर विशेषाधिकार भंग के रूप में इस मामले को उठाने की इजाजत दे सकते हैं । जेल मे दुरव्यवहार की घटनाएं स्पष्ट है । हथकड़ी लगाना, जेल में मारपीट करना ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) दो महीने रोके रखना ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इल ट्रीटमेंट, ये सब बातें हुई हैं । आप इस सब के बारे में गृह मंत्री से बयान देने को कहे और तथ्यों को देखें और फैसला करें और मुझे प्रिवेलज का मामला उठाने की इजाजत दें ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have written to you and I would take just one minute to make my submission Sir, you had been to many countries, and you know that legislators enjoys certain immunities from court and police action. Here, Mr. Ishwar Chaudhuri was....

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर की बात मत करिये ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Since many of us criticise the police and the administration, they have a special wrath for us. Therefore, whenever they get an opportunity, they try and show their vindictiveness. Here is a clear instance where a sitting Member of Parliament representing 15 lakhs of people in the country was handcuffed, detained in jail for two months and beaten up, and a rope was tied round his waist. What more can the police do on a people's representative? We want protection from the Chair and we want suitable action taken.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: (Begusarai): I would make only one point This issue had been referred to the Committee of Privileges in the past and the Committee had come to certain conclusions about this One of the conclusions was that MPs would be treated as better class prisoners—and there are other persons included in this category of better class prisoners. There had also been a communication from the Ministry of Home Affairs that ordinarily, the prisoners in general—I am not speaking of MPs alone, but ordinarily the prisoners—would not be handcuffed. Then they have also got this category of better class prisoners.

So we would like to know if the Committee of Privileges had already given its conclusions and recommendations that MPs should be included amongst the better class prisoners who would not be handcuffed. If so, in this case how was it resorted to?

Then may I also refer you to Halsbury's *Laws of England* where it is

said that a prisoner who is handcuffed without reasonable need has a right of action for damages? That is the rule in England. How do we stand in this matter? When according to your Committee of Privileges we are to be treated in the category of better class prisoners—and we are not alone in that category—then this of course becomes a matter of privilege in that sense.

श्री मधु लिमये (बांका) : मुझे एक ही बात कहनी है कि इस तरह की घटनाएं बिहार की जेलो में कई बार हो चुकी हैं और केवल पार्लियामेंट के सदस्यो को ही नही बिहार के मान्य नेताओ के साथ भी दुर्व्यहार हुआ है, उन को भी पीटा गया है । इसलिए इस मामले को मेरी राय में विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय ।

MR SPEAKER I am very sorry this has happened. As I see from the previous practice, Government had issued instructions not to handcuff MPs and specially *satyagrahis* who go there voluntarily They would not run away. The man is not a thief to run away I am really surprised at this Besides this handcuff, what matters is the humiliation it causes In political life, many people have their own views They may not agree with the party which is ruling. Even partymen sometimes do not agree amongst themselves and they offer *satyagraha*.

Personally I feel so much resentment at this I remember in 1945, when I was a prisoner, they would handcuff me and always take me right from the jail through the length of the road and back. I have not forgotten my resentment even up to this day.

श्री मधु लिमये : पंजाब में मेरे साथ सन् 1959 में यही व्यवहार किया गया । मै 59 की बात कर रहा हूं ।

MR. SPEAKER: I am talking of the period 1944 to 1947, the British period. Whenever I remember how they paraded me in the streets and brought me back to the jail, I feel strong resentment. After all, I was a political prisoner.

So I feel that now that we have our own government, at least we should have some code to be followed if a Member of Parliament is not handcuffed and he runs away, I do not think anybody will approve his conduct.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Quite right.

MR SPEAKER · I do not think in this country people are such that they will put the Government in the wrong They will not put the Government in the wrong, they will put that fellow who runs away in the wrong

So we must consider it I will ask for the Home Minister's statement on it Later on we will sit together and see as to how to settle this affairs

13.55 hrs.

(ii) DROUGHT IN GUJARAT

MR. SPEAKER: There are many Members. Sarvashri Mavalankar Jadeja, Arvind Patel, Vekaria and Shri Chavda I have followed strictly this procedure in the case of Mr Madhu Limaye or in the case of the hon Member here on this side, I have mentioned their names and I will call only the first Member in the order of receipt.

SHRI K. S CHAVDA (Patan) I was the first man to put it into the box

MR. SPEAKER: He came first out of the box and the first man will speak on behalf of all of you I have mentioned the names.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): I am grateful to you